सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्याः 1718/अड़तीस–4–2011

प्रेषक,

एन0 एस0 रवि,
प्रमुख सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
   द्वारा सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–4 लखनऊः दिनॉकः 17 सितम्बर, 2011

विषयः इन्दिरा आवास योजना, महामाया आवास योजना एवं महामाया सर्वजन आवास योजना के अन्तर्गत आवासों का समयबद्ध निर्माण हेतु लाभार्थियों को धनराशि उपलबध कराया जाना।

महोदय,

ग्रामीण आवास कार्यकम के इन्दिरा आवास योजना, महामाया आवास योजना एवं महामाया सर्वजन आवास योजना की माह अगस्त, 2011 तक की प्रगति की समीक्षा से यह विदित हुआ कि इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 3,32,804 आवासों के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 1,57,035 आवास अभी भी अनारम्भ हैं। इसी प्रकार महामाया आवास योजनान्तर्गत 1,22,000 लक्ष्य के सापेक्ष 62,013 आवास तथा महामाया सर्वजन आवास योजनान्तर्गत 22,000 आवासों के निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 5,790 आवासों का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।

उपरोक्त से विदित है, कि जनपद स्तर पर इन योजनाओं के कियान्वयन में अपेक्षित सतर्कता नहीं बरती जा रही है और रूचि भी नहीं ली जा रही है। धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी कोषागारों से आहरित न करना व लगभग

50 प्रतिशत आवासों का अनारम्भ रहना आपत्तिजनक है। शासन द्वारा इस स्थिति को अत्यन्त गम्भीरता से लिया गया है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि का शत– प्रतिशत आहरण कोषागारों से तत्काल करा लिया जाय और अनारम्भ समस्त आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु अवशेष सभी लाभार्थियों को एक सप्ताह के भीतर धनराशि उपलब्ध करा दी जाय, भले ही वह टोकन धनराशि हो। इससे जहाँ एक ओर लाभार्थियों में अनावश्यक रूप से व्याप्त असंतोष व संशय की स्थिति समाप्त होगी, वहीं दूसरी ओर शासन द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर सभी आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो सकेगा। मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत सभी अपेक्षित औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए 'दूसरी किस्त की धनराशि अवमुक्त करने का प्रस्ताव भी भारत सरकार को 30 सितम्बर, 2011 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दिया जाय।

भवदीय,

17.9.2011

(एन0एस0 रवि)
प्रमुख सचिव।

संख्याः (1)/ अड़तीस–4–2011, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर पर ग्रामीण आवासीय योजनाओं की समीक्षा कर अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश , जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अनुश्रवण कर अनुपालन की संकलित स्थिति से शासन को अवगत करायें।

आज्ञा से,

(एन0एस0 रवि)
प्रमुख सचिव।